सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 798 राँची, सोमवार, 30 दिसम्बर, 2024 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त, 2024

संख्या: 3401--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

अध्याय: 1

- प्रारम्भिक -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:

(1) यह नियमावली झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2024 कही जायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी ।

2. परिभाषायें:-

(i) राज्य से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य।

(ii) विभाग से अभिप्रेत है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार।

(iii) संवर्ग से अभिप्रेत है, अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग।

(iv) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल के वन प्रमण्डल पदाधिकारी।

(v) आयोग से अभिप्रेत है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग।

(vi) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची की अध्यक्षता में अवर वन सेवा संवर्ग की प्रोन्नति से संबंधित कार्यो के लिए विभाग द्वारा गठित समिति।

(vii) नियमावली से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2024।

(viii) अन्य किसी शब्दों में स्पष्टता या विवेचना की आवश्यकता होने की स्थिति में उस शब्द का अर्थ वही समझा जाएगा जो झारखंड सेवा संहिता में अंकित है।

3. संवर्ग की संरचना एवं बल:-

(1) वनरक्षी (मूल कोटि) एवं प्रथम प्रोन्नति का पद (प्रधान वनरक्षी) जिला स्तरीय होगा।

(2) इस संवर्ग की संरचना एवं बल

क्र०	**कोटि**	**पद**	**वेतनमान**
1	***2***	***3***	***4***
1	मूलकोटि	वनरक्षी	P.B.- I (Rs. 5200-20200) GP-2000 लेवल-3
2	प्रथम प्रोन्न्ति का पद	प्रधान वनरक्षी	P.B.- I (Rs. 5200-20200) GP-2400 लेवल-4

(3) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1638/वि0, दि0-16.06.2006 के निहित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकतानुसार पदसृजन एवं पद घटाने से संबंधित कार्रवाई की जा सकेगी।

अध्याय: 2

भर्ती/नियुक्ति

4. वनरक्षी कोटि में नियुक्तिः

(1) **नियुक्ति पदाधिकारी:** वनरक्षी के नियुक्ति पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे।

(2) **रिक्तियों का नियतिकरण:**

प्रत्येक जिले के सभी प्रमंडलों में उपलब्ध वनरक्षियों की नियुक्ति हेतु उस जिले के प्रादेशिक वन संरक्षक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे जिले के सभी वन प्रमंडलों से कोटिवार रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर नियमानुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संगत नियमों/निदेशों का पालन करते हुए सक्षमस्तर से रोस्टर का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अनुमोदित रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की सूचना जिले के प्रादेशिक वन प्रमंडल के वन संरक्षक (नोडल पदाधिकारी) के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजी जाएगी जो नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेंगे एवं इसकी सूचना सरकार को देंगे।

(3) स्वीकृत पदों के विरूद्व रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् यथा 1 जनवरी तक की कोटिवार गणना की जायेगी।

अध्याय: 3

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया

5. वनरक्षी के स्वीकृत कुल कार्य बल में रिक्तियों के शत प्रतिशत पदों को सक्षमस्तर द्वारा स्वीकृत रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत की गई अनुशंसा के आलोक में ये नियुक्तियाँ नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। सम्पूर्ण राज्य के सभी जिलों या जिला समूहों में परीक्षा का आयोजन एक दिन एवं एक ही समय किया जाएगा।

6. वनरक्षी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु अर्हताएं:

(1) **उम्र सीमा:** उम्मीदवार को नियुक्ति के अधियाचना वर्ष में माह अगस्त की प्रथम तिथि (01 अगस्त) को 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अत्यन्त पिछड़ी जाति एवं महिला उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में नियुक्ति के समय विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व राज्य सरकार के प्रतिपादित प्रावधान लागू होंगे। उम्मीदवार की आयु की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

(2) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा चिकित्सीय परीक्षण का आयोजन किया जायेगा।

(3) **(क) शैक्षणिक योग्यता:** वनरक्षी पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख) शारीरिक योग्यता परीक्षण:

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-2249, दिनांक-03.04.2018 की कंडिका-5(ख)(ii) के तहत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-665, दिनांक-12.03.2024 द्वारा झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण इस शर्त के साथ क्षांत किया गया है कि यह exemption मात्र एकबार के लिए होगी।

2. **(a) पुरूष उम्मीदवार हेतु:**

(i) न्यूनतम ऊँचाई: 165 से.मी., परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 152 से.मी.

(ii) न्यूनतम छाती: 79 से.मी. तथा फुलाने के बाद 84 से.मी., परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 77 से.मी. तथा फुलाने के बाद 81 से.मी.

(b) महिला उम्मीदवार हेतु:

(i) **न्यूनतम ऊँचाई:**150 से.मी.,परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 145 से.मी.

(c) पुरूष उम्मीदवार हेतु:- चार घंटे की अवधि में न्यूनतम 25 कि.मी. पैदल चलने की क्षमता।

(d) महिला उम्मीदवार हेतु:- चार घंटे की अवधि में न्यूनतम 14 कि.मी. पैदल चलने की क्षमता।

7. नियुक्ति प्रक्रियाः

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोटिवार जिलावार आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप मेधा सूची भी तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु उचित कार्रवाई करेंगे।

8. लिखित परीक्षा का स्वरूपः-''झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016)'' एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-420 दिनांक-12.08.2021 द्वारा अधिसूचित ''झारखण्ड

कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2021''तथा अधिसूचना संख्या-1428 दिनांक-10.03.2023 द्वारा अधिसूचित''झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023'' के प्रावधानों अथवा समय-समय पर झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित अद्यतन प्रावधान इस नियमावली में प्रभावी होंगे।

9. उपर्युक्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटिवार अलग-अलग मेधा सूची शारीरिक परीक्षण हेतु तैयार की जायेगी।

10. **शारीरिक योग्यता परीक्षण:-**इस मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु आयोग द्वारा स्थल, तिथि एवं समय का निर्धारण किया जायेगा। परीक्षण कार्य में सहयोग के लिए आयोग विभाग से विमर्श कर विभागीय पदाधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों का एक बोर्ड गठित कर सकेगा। शारीरिक परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी।

11(1)(क)चिकित्सीय परीक्षण:-राज्य सरकार द्वारा वन विभागीय क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं प्रक्रिया के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अनुरोध पर नियम 8, 9 एवं 10 के अधीन आयोजित लिखित एवं शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण राज्य सरकार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सरकार के द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड, जिसमें सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक से अन्यून 3 सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु, आयोग के अनुरोध पर राज्य सरकार/निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए एक से अधिक चिकित्सीय परीक्षण बोर्ड का गठन कर सकती हैं।

(ख) चिकित्सीय परीक्षण बोर्ड/बोर्डों द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के चिकित्सा परीक्षा का परिणाम निर्धारित पत्र में आयोग को तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें अभ्यर्थियों की चार कोटियाँ क्रमशः सफल, असफल, अस्थायी रूप से असफल एवं अनुपस्थित होंगी, एवं आयोग यह सूची आयोग के वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर 24 घंटे के भीतर प्रकाशित करेगा।

(ग) असफल घोषित अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा-फल प्रकाशित होने के 7 (सात) दिनों के भीतर आयोग को निर्धारित फीस के साथ चिकित्सा पुनर्रीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपील कर सकेंगे।

(घ) उप-नियम 11(1) (ख) के अधीन सभी अस्थायी असफल घोषित अभ्यर्थी, तथा उप-नियम-11(1) (ग) के अधीन अपीलकर्ता अभ्यर्थी, का आयोग के अनुरोध पर राज्य सरकार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सरकार द्वारा गठित ''अपीलीय चिकित्सीय परीक्षण बोर्ड'', जिसमें उप-नियम-11(1)(क) के अधीन गठित चिकित्सीय परीक्षण बोर्ड से भिन्न असैनिक शल्य चिकित्सक की अध्यक्षता में सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक से अन्यून हो अन्य सदस्य होंगे, चिकित्सीय पुनर्रीक्षा की जा सकेगी।

(ङ.) अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनर्रीक्षा का फल चिकित्सा पुनर्रीक्षा के प्रारंभ की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसे आयोग 24 घंटे के भीतर आयोग के वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेगा।

परन्तु, चिकित्सा बोर्ड, ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी अभ्यर्थी का चिकित्सा पुनर्रीक्षा फल 7 (सात) दिनों के भीतर आयोग को नहीं भेज सकेगा जिनके लिए अतिरिक्त गहन/अतिरिक्त जाँच की आवश्यकता हो।

परन्तु ऐसा स्थगित चिकित्सीय पुनर्रीक्षा फल चिकित्सा पुनर्रीक्षा के प्रारंभ की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर आयोग को भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(च) अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, एवं किसी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अनुरोध पर नियम 8, 9 एवं 10 के अधीन आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शारीरिक एवं चिकित्सीय परीक्षण क्रमशः मानक प्रपत्र (परिशिष्ट-1) एवं मानक प्रपत्र (परिशिष्ट-2) के अनुरूप किया जायेगा।

नियुक्ति के लिए स्वस्थ घोषित होने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। इसकी पुष्टि एतदर्थ गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(2) मेधा सूची में सम्मिलित होने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं:

मेधा सूची में किसी भी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित होने से उन्हें नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति पदाधिकारी उनके चरित्र एवं पूर्व इतिहास के संबंध में आवश्यक जांचोपरांत संतुष्ट न हो जाय।

12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-1428 दिनांक-10.03.2023 द्वारा अधिसूचित''झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023'' के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा ली जायेगी।

13. आयोग यदि आवश्यक समझेगा तो मुख्य परीक्षा के स्वरूप में विभाग के परामर्श से संशोधन कर सकेगा।

अध्याय-4

प्रोन्नति

14. अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग में प्रोन्नति का पदसोपान:

इस संवंर्ग का प्रोन्नति का पदसोपान निम्नरूप से होगा:-

क्र०	कोटि	पद	वेतनमान	न्यूनतम कालावधि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	प्रथम प्रोन्न्ति का पद	प्रधान वनरक्षी	P.B.- I (Rs. 5200-20200) GP-2400 लेवल-4	कार्मिक एवं प्रशासनिक, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार

15. (1) प्रधान वनरक्षी के पद जिलास्तरीय होंगे ।

(2) प्रधान वनरक्षी में प्रोन्नति के लिए जिलास्तरीय रोस्टर के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान लागू होंगे।

(3) प्रोन्नति हेतु वनरक्षी को प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा वनरक्षी के पद पर सेवा सम्पुष्ट होना अनिवार्य होगा।

(4) कालावधि, जो इस स्तर के पद में प्रोन्नति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो, वही लागू होगी।

(5) ऐसे सभी वनरक्षी,जो कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन यथा 31 दिसम्बर तक उक्त न्यून्तम अर्हताएं प्राप्त कर लेते हैं, को ही उस कैलेण्डर वर्ष में प्रोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त माना जायेगा।

(6) **प्रोन्नति से भर्ती का प्राधिकार:** वनरक्षी से प्रधानवनरक्षी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति अनुशंसा करेगी।

(7) प्रधान वनरक्षी के शत् प्रतिशत् पद प्रोन्नति के पद होंगे

(8) प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करने वाले प्रधान वनरक्षी वनपाल के पद पर प्रोन्नति योग्य होंगे।

(9) **प्रोन्नति की प्रक्रिया:**

प्रत्येक जिला के सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रधान वनरक्षी के स्वीकृत कर्णाकित बल के विरूद्व रिक्ति की सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची को उपलब्ध करायेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची इसे समेकित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड, रांची को रोस्टर अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायेंगे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड, रांची से प्रोन्नति हेतु अनुमोदित रोस्टर प्राप्त कर प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

(10) राज्य सरकार वनरक्षी के स्वीकृत पदों के अधीन ''प्रधान वनरक्षी'' पदों की संख्या कर्णांकित कर सकेगी एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड की सहमति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची विभिन्न स्थापनाओं के लिए प्रधान वनरक्षी का पद आवंटित कर सकेंगे।

(11) निर्धारित कालावधि को पूर्ण करने वाले प्रधान वनरक्षियों के प्रोन्नति द्वारा वनपाल के कुल स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत् पदों को भरा जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। उक्त प्रोन्नत वनपाल के प्रोन्नति की प्रक्रिया एवं अन्य सेवाशर्ते वनपाल संवर्ग हेतु अद्यतन अधिसूचित झारखण्ड राज्य वनपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली के प्रावधान के अनुसार होगी।

16. विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप:

(1) विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप निम्नवत् है-

(i)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची	-	अध्यक्ष
(ii)	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	-	सदस्य
(iii)	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित स्थापना)	-	सदस्य सचिव
(iv)	मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय	-	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मनोनीत संबंधित स्थापना के प्रभारी उप सचिव,वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, झारखण्ड	-	सदस्य
(vi)	कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य	-	सदस्य
(vii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड द्वारा नामित मुख्य वनसंरक्षक से अन्यून स्तर के एक पदाधिकारी	-	सदस्य

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रधान वनरक्षी के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसित वनरक्षी की प्रोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांचीहोंगे। इनके द्वारा प्रोन्नत प्रधान वनरक्षियों की जिलास्तरीय वरीयता सूची का संधारण किया जाएगा।

(3) उपरोक्त विभागीय समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य संरक्षक, झारखंड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

अध्याय: 5

- विविध -

17.(1) प्रशिक्षण: सीधी भर्ती से नियुक्त वनरक्षी नियुक्ति के उपरान्त प्रशिक्षण हेतु वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय मे भेजे जाऐंगे। किसी भी परिस्थिति में अप्रशिक्षित नव नियुक्त वनरक्षी को क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित प्रावधान होंगे-

(i) प्रशिक्षण अवधि में वेतन एवं अन्य भत्ता देय होगा।

(ii) प्रत्येक वनरक्षी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु निर्धारित अर्हताओं के साथ प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

(iii) वनरक्षी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम दो अतिरिक्त अवसर दिये जायेंगे। इस प्रकार व्यवहृत अतिरिक्त अवसरों के उपरांत भी यदि कोई परीक्ष्यमान वनरक्षी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने में असफल होता है, तो उसकी सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(iv) प्रशिक्षण के दौरान वनरक्षी यदि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा अपराधिक कृत्य में लिप्त पाये जाते हैं, तो उनकी सेवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(2) परिवीक्षा:सीधी भर्ती से नियुक्त वनरक्षी 6 माह के लिए कार्यरत वनरक्षी/वनपाल के साथक्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु संलग्न रहेंगे। परिवीक्षाधीन अवधि के पश्चात संबंधित जिले के किसी भी उप वन परिसर में पदस्थापित किया जाएगा।

18. विभागीय परीक्षा: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पन एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीण होने पर प्रथम वृद्धि तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीण होने पर द्वितीय वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्व रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नही होगा। विभागीय परीक्षा में वन, पर्यावरण, संरक्षण एवं फोरेस्ट एक्ट की भी परीक्षा होगी।

(क) वनरक्षी एवं अन्य सोपान में प्रत्येक 5 वर्ष पर दो माह का रिफ्रेसर कोर्स करना प्रोन्नति के लिए अनिवार्य होगा।

(ख) प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम वनरक्षियों एवं अन्य सोपान में करना होगा।

(ग) प्रोन्नति होने पर एक माह का इंडक्शन कोर्स अनिवार्य होगा।

(घ) परीक्षा प्रारूप पर परीक्षा प्राधिकार विभाग से सहमति ले लिया जाएगा।

(ड.) विभागीय परीक्षा, रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इंडकशन कोर्स के संचालन तथा परीक्षाफल के प्रकाशन का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के अधीन आयोजित किया जाएगा।

(च) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1794 दिनांक-04.04.2007 के आलोक में सीधी भर्ती से नियुक्त वनरक्षियों को एक जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधान लागू होंगे।

19. **सेवा सम्पुष्टि:** नियमित नियुक्ति की तिथि के 2 वर्ष /विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि जो बाद में हो उस तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। बशर्ते विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो एवं कोई आरोप प्रमाणित न हो। विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों को पूर्ण किया गया हो।

20. **अनुशासनिक कार्रवाई:** अवर वन सेवा संवर्ग के सदस्यों पर कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकेगी।

21. **वर्दी:** अवर वन सेवा संवर्ग के सभी सदस्य वर्दीधारी होंगे। इस सेवा संवर्ग के लिए वर्दी का स्वरूप वही होगा जैसा कि विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

22. वनरक्षी एवं प्रधान वनरक्षी की सेवापुस्तिका का संधारण संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची सभी कर्मियों के अभिलेख Software के माध्यम से संधारित करायेंगे।

23. **विनियमन:** इस नियमावली में अंकित नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ यदि किसी विषय जिसके लिए उपबंध आवश्यक है, की व्यवस्था करने के लिए विभाग राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परामर्श से ऐसे विनियम बना सकेगा जो असंगत न हों।

24. **निरसन एवं व्यावृत्तियाँ:**

(1) झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमाली, 2014 के आलोक में नियुक्त वनरक्षियों के सेवाशर्तों में अलाभकारी परिवर्तन होने से न्यायिक वाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवश्यकता के अनुरूप उच्चस्तरीय विभागीय समीक्षा एवं निर्णय द्वारा प्रोन्नति में उक्त प्रावधानों को उन प्रभावित कर्मियों के लिए One Time शिथिलीकरण की जा सकेगी ताकि विसंगतियों को न्यायसंगत एवं युक्तिसंगत ढंग से दूर किया जा सके।

(2) इस नियमावली के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने की शक्ति झारखंड सरकार में निहित होगी।

(3) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व झारखंड में लागू संबंधित नियमावली/नियम/आदेश निरसित हो जाऐंगे एवं कोई कार्य या कार्यवाही, जो पूर्व में लागू नियमावली/नियम/आदेश के अंतर्गत की गई थी, के संबंध में यह माना जाएगा कि इस नियमावली के उपबंधों के अधीन की गयी है या की गई मानी जाएगी, जब तक कि वह इस नियमावली के अधीन किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित, रूपांतरित या परिवर्तित न कर दी जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

परिशिष्ट -1

झारखण्ड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-20.....

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

शारीरिक योग्यता परीक्षण

1. झारखण्ड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-20..... (मुख्य) का अनुक्रमांक.....

फोटोग्राफ

2. अभ्यर्थी का नाम .....

3. पिता/पति का नाम .....

4. शारीरिक योग्यता परीक्षण की तिथि .....

5. स्थान .....

6. महिला/पुरूष .....

7. शारीरिक योग्यता:-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="3">जाँच के बिन्दु</th><th>माप/ जाँच फल</th><th>जाँच पदाधिकारी की अभ्युक्ति (सफल/असफल)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">ऊँचाई (न्यूनतम)</td><td>पुरूष</td><td>महिला</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>165 से॰मी॰ अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 152 से॰मी॰</td><td>150 से॰मी॰ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 145 से॰मी॰</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">छाती का माप (न्यूनतम)</td><td colspan="2">पुरूष</td><td rowspan="2">महिला</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>सामान्य स्थिति</td><td>फुलाने पर</td></tr>
<tr><td>79 से॰मी॰ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए77 से॰मी॰</td><td>84 से॰मी॰ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 81 से॰मी॰</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">पैदल चलने की क्षमता</td><td colspan="2">पुरूष</td><td>महिला</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">चार घंटे की अवधि में न्यूनतम 25 कि॰मी॰ पैदल चलने की क्षमता।</td><td>चार घंटे की अवधि में न्यूनतम 14 कि॰मी॰ पैदल चलने की क्षमता।</td></tr>
</table>

8. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ..... तिथि ..... स्थान .....

9. जाँच दल का मंतव्य:-

अभ्यर्थी शारीरिक योग्यता परीक्षण में सफल/असफल है .....

सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष

(हस्ताक्षर एवं सील)

परिशिष्ट -2

OFFICE OF CIVIL SURGEON
Jharkhand Forest Guard Competitive Examination- 20…
CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS
(By Medical Board as per Govt. Notification)

Photograph

Roll No:_____
Candidate Name: _____
Father/Husband's Name: _____
Gender: _____ Date of Birth (dd-mm-yyyy): _____

Sl No.	Type of Test	Results
1.	Physical Disability/Deformity (If any) (शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए)	
2.	Vision	Left Eye ……..… Right Eye ……..
3.	Colour Blindness/Night Blindness	
4.	Hearing	
5.	Stammering	
6.	Bericocele/Hydrocele/Piles (if any)	
7.	Any Communicable or other(s) disease (if any)	

We certify that we have carefully examined this candidate and he/she has signed in my presence.

*He/She has no Mental/Physical disease and found FIT.

*He/She has ---------- disease and is NOT FIT.

*Strike out which is not applicable.

Place: _____ Date: _____ Signature of Candidate
(In Presence of Medical Board)

1. Dr. _____ (Member of Medical Board) (Female)

2. Dr. _____ (Member of Medical Board)

3. Dr_____ (Member of Medical Board)

Counter Signed by the Civil Surgeon/CMO/Head of Hospital

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 798 - 50